आपदा समाचार

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UP SDMA)

VOLUME - II

SEP 2024

FLOOD & LIGHTNING PREPAREDNESS

Stay Alert - Stay Safe

upsdma@gmail.com @UP_SDMA @sdmaup9884 @UP SDMA Lucknow

लेफ्टिनेंट जनरल योगेन्द्र डिमरी
पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम., वी.एस.एम., (से.नि.)
Lt Gen Yogendra Dimri
PVSM, AVSM, VSM (Retd)
उपाध्यक्ष / Vice Chairperson

उ.प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
UP State Disaster Management Authority
बी–1 ब्लॉक, प्रथम तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
B-1 Block, First Floor, PICUP Bhawan, Vibhuti Khand,
Gomtinagar, Lucknow-226010

सन्देश

प्रिय पाठकों,

आपदा समाचार एक बार फिर आपका स्वागत करता है!

इस अंक को आपके सुझावों को सम्मिलित करते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं विभागों द्वारा आपदा न्यूनीकरण हेतु जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों के आधार पर तैयार किया गया है। हमारा लक्ष्य राज्य में बाढ़, अतिवृष्टि, वज्रपात जैसी मौसम जनित आपदाओं को समझना तथा इसके न्यूनीकरण के लिए जमीनी स्तर पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी देना है, जो वास्तविक परिवर्तन ला सकता है।

इस वर्ष जुलाई माह की शुरुआत से ही विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के कारण प्रदेश के तराई क्षेत्रों के जनपदों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रभावित जनपदों में त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों को जिला प्रशासन एवं सभी विभागों ने सराहनीय रूप में किया है। जनपदों ने मॉनसून के समय विशेष रूप से अन्य मानसूनी आपदाओं जैसे–वज्रपात, अतिवृष्टि, सर्पदंश, डूबने के कारण दुर्घटना, नाव दुघर्टना इत्यादि के बारे में "क्या करें, क्या न करें" के विषय में जागरूकता का भी कार्य किया है।

इस वर्ष मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ला नीना के प्रभाव के कारण अत्यधिक ठण्ड पड़ने की भी संभावना है। इसलिये समस्त नागरिकों को मौसम विभाग की रिपोर्ट के साथ अद्यतन रहते हुये सर्दियों के लिये तैयार रहना होगा।
जागरूकता में ही सुरक्षा की बुनियाद है।

शुभकामनाओं सहित!

Editor
Dr. Kaneez Fatima
Project Director(Drought), UP SDMA

Technical Support
Mr. Prashant Kumar
Project Associate, UP SDMA

उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली एक चुनौती – सामूहिक प्रयास ही सर्वोत्तम उपाय

कर्नल (प्रोफेसर) संजय श्रीवास्तव
चेयरमैन क्लाइमेट रेजिलिएंट सिस्टम
प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली

भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में हाल के वर्षों में आकाशीय बिजली के गिरने की संख्या और गिरने से होने वाले जान माल के नुकसान के बढ़ने की घटनायें सामने आयी हैं। इसका मुख्य कारण वैश्विक उष्णता का बढ़ना है जिसके पीछे मुख्य कारक पर्यावरण को क्षति, जल संसाधनों में ह्रास, जंगलों का काटना , प्रदूषण इत्यादि है। परंतु इन सबका प्रभाव स्थानीय तौर पर आकाशीय बिजली एवं अन्य प्रतिकूल मौसमी घटनाओं के रूप में होता है जो बाद में एक बड़ी आपदा का रूप ले लेती हैं। आकाशीय बिजली वर्तमान समय में सरकार और जनमानस के लिए चुनौती है। परन्तु आज आकाशीय बिजली से बचने के लिए समुचित वैज्ञानिक उपाय मौजूद हैं और यह 100% अपरिहार्य आपदा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आकाशीय बिजली से होने वाली जनहानि को न्यून करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने का खतरा

उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, इसके विशाल मैदानों और बार–बार आने वाले स्थानीय आंधी–तूफानों, बवंडरों के कारण, यहां आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना रहता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य में सालाना औसतन 200–300 बिजली गिरने से जनहानि दर्ज की जाती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की आकाशीय बिजली प्रवनता मानचित्र जो की आकाशीय बिजली के पिछले पाँच वर्षों में जमीन पर गिरने की संख्या, उसके प्रभाव, सामाजिक–आर्थिक पारिस्थितिक और अन्य आकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। जिसमें राज्य के गंभीर, मध्यम और अल्प खतरे वाले जनपदों को इंगित किया गया है। इनमें जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, गोरखपुर, ललितपुर, चंदौली, कानपुर देहात, प्रतापगढ़ इत्यादि जनपद हैं।

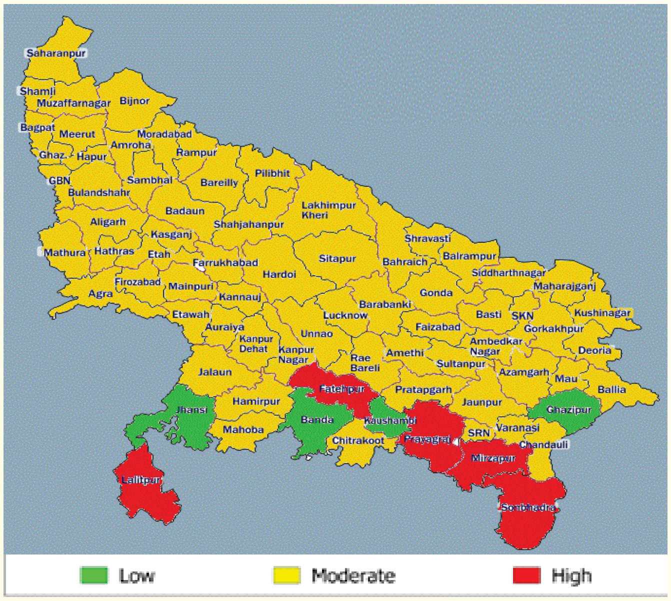

LIGHTNING DISTRIBUTION OVER UTTAR PRADESH

Based on

- Lightning Occurrence
- Mortality
- Climate Change
- Social and Economic Aspects

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UP SDMA) की पहल

उत्तर प्रदेश में UP SDMA ने आकाशीय बिजली की चुनौती से निपटने के लिए व्यापक कार्यवाही की है। राज्य में मुख्यमंत्री वज्रपात बिजली सुरक्षा कार्यक्रम लागू किया गया है। साथ ही भारत सरकार के IMD तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार से समन्वय करते हुए एक आम जनमानस केंद्रित योजना लागू किया है। इन कार्यक्रमों के मुख्य अंश निम्नवत् है :–

- **भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)** ने आकाशीय बिजली का पता लगाने वाली प्रणाली स्थापित की है, जो आकाशीय बिजली गिरने पर वास्तविक समय का डाटा प्रदान करती है, जिससे समय पर चेतावनी और बचाव संभव हो पाता है। इसके प्रसारण के लिए दामिनी नामक मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित किया गया है जिससे की प्रत्येक् व्यक्ति को इसकी सूचना आकाशीय बिजली के गिरने से पहले मिल जाती है और साथ ही साथ इससे बचने के उपाय तथा निर्देश दिये जाते हैं।

- **स्थानीय आकाशीय बिजली चेतावनी प्रणाली** : उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सोनभद्र जनपद के दुद्धी ब्लाक में एक प्रारंभिक आकाशीय बिजली चेतावनी प्रणाली स्थापित की है, जो मोबाइल ऐप, एसएमएस और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों में अलर्ट प्रसारित करती है। इसकी वजह से वर्ष 2023 में दुद्धी ब्लॉक में आकाशीय बिजली से कोई भी जनहानि की घटना नहीं हुई है। इस सफल प्रणाली को अन्य संवेदनाशील क्षेत्रों में भी स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

- **आकाशीय बिजली प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा** : सरकार ने स्कूलों, अस्पतालों और सामुदायिक केंद्रों सहित बिजली प्रतिरोधी इमारतों के निर्माण के लिए उपाय शुरू किए हैं। इस संबंध में सभी विभागों को तड़ितचालक/तड़ित रोधक लगाने के लिए आदेश दिये जा चुके है।

- **सार्वजनिक जागरूकता** : लोगों को आकाशीय बिजली सुरक्षा उपायों, जैसे आंधी– तूफान/आकाशीय बिजली के दौरान आश्रय की तलाश करना और खुले क्षेत्रों से बचने के बारे में शिक्षित करने के लिए व्यापक सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू किए गए हैं। वज्रपात सुरक्षा रथ , सोशल मीडिया , टीवी , रेडियो एवं ग्राम सभाओं के माध्यम से निरंतर जागरूकता की कार्यवाही भी की जा रही है।

- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण** : पुलिस और चिकित्सा कर्मियों सहित आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ताओं को भी आकाशीय बिजली प्रतिक्रिया और प्राथमिक चिकित्सा पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया गया है।

- **आकाशीय बिजली सुरक्षा दिशा–निर्देश** : सरकार ने कृषि, निर्माण और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए बिजली सुरक्षा दिशा–निर्देश तैयार कर प्रचारित– प्रसारित किए हैं।

अनुशंसा

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वज्रपात सुरक्षा योजना एक सशक्त और सराहनीय योजना है । इसकी सफलता जन भागीदारी पर निर्भर है। इसके आलोक में ये नितान्त आवश्यक है कि आम जानता को इस योजना के विभिन्न पहलुओं के प्रति शिक्षित, जागरूक और अनुपालक बनाया जाये, ताकि आकाशीय बिजली से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है।

निष्कर्ष

आकाशीय बिजली की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उत्तर प्रदेश सरकार के सक्रिय प्रयासों के आशाजनक परिणाम सामने आए हैं। वज्रपात का पता लगाने, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, सार्वजनिक जागरूकता और क्षमता निर्माण में निरंतर निवेश से बिजली गिरने से होने वाली मौतों का खतरा और कम किया जा सकता है। यद्यपि राज्य लगातार जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहा है परन्तु आकाशीय बिजली से आम जनमानस तथा पशुओं के कारगर सुरक्षा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता भविष्य में उत्तर प्रदेश राज्य को आपदा मुक्त और प्रगतिशील राज्य बनाने में सार्थक होगा। सामूहिक प्रयास ही सर्वोत्तम उपाय है।

प्रदेश में वज्रपात सुरक्षा

श्री निखिल गंगवार,
प्रोजेक्ट एक्सपर्ट (सिविल स्ट्रक्चर)

मानसून के दौरान जून से अक्टूबर में अधिकतम वज्रपात की घटना होती है। मुख्य रूप से देखा जाये तो ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई, पर्यावरणीय क्षरण और जलवायु परिवर्तन की चरम सीमाओं के कारण आकाशीय बिजली में वृद्धि हो रही है। देश में हर साल लगभग 7–8 लाख बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष बिजली गिरने से लगभग 300–350 जनहानि की घटनायें होती हैं। वज्रपात के कारण होने वाली क्षति के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र और ऊंचे पेड़ों और जल निकायों वाले जंगल सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं।

उत्तर प्रदेश में जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, ललितपुर, फतेहपुर, बलिया राज्य शीर्ष 6 जिले हैं, जहां पिछले 5 वर्षों में बिजली गिरने से सर्वाधिक जनहानि हुई हैं।

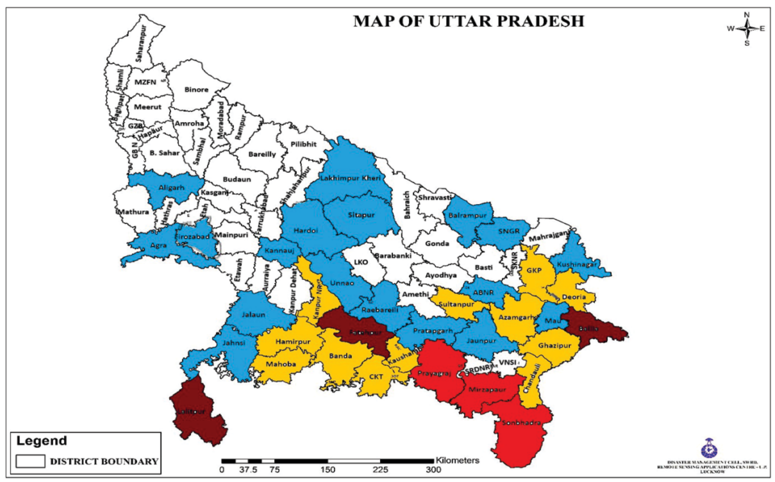

उत्तर प्रदेश में आंधी/तूफान/बिजली का खतरा जोखिम एवं संवेदनशीलता मानचित्रण

- उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में वज्रपात से होने वाली मृत्यु को संज्ञान में लेते हुये वज्रपात सुरक्षा कार्यक्रम के द्वारा वज्रपात के न्यूनीकरण के लिए वज्रपात के समय ''क्या करें, क्या न करें'' संबंधी आई0ई0सी0 मैटेरियल को ग्राम वासियों में वितरित किया गया।
- वज्रपात से सर्वाधिक प्रभावित जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज तथा ललितपुर में जिला, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारियों एवं जन–मानस का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अन्तर्गत दामिनी एप के माध्यम से वज्रपात की चेतावनी प्राप्त करने एवं जन–मानस को सचेत करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 01 लाख 30 हजार से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों तथा समुदाय के सदस्यों को वज्रपात से बचाव के उपायों एवं अर्ली वार्निंग प्राप्त किये जाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन जनपदों के सभी 51 विकास खंडों में ई–रिक्शा/वाहन के माध्यम से माइकिंग का कार्य कराया गया, जिसके अन्तर्गत लाउड–स्पीकर के माध्यम से गांव–गांव जाकर वज्रपात से बचाव के उपायों का प्रचार–प्रसार किया गया।
- प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत भवनों में वज्रपात से बचाव हेतु क्या करें, क्या न करें संबंधी सनबोर्ड–विनायल बोर्ड आम जनमानस की जागरूकता हेतु लगाये गये हैं।

- ❖ जनपद सोनभद्र के दुद्धी ब्लॉक में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किये जाने का कार्य किया गया है, जिसके अन्तर्गत वज्रपात से पूर्व चेतावनी प्राप्त करने हेतु उपकरणों को लगाया गया है। जिनके माध्यम से 03 किमी0 के दायरे में होने वाले वज्रपात की 30 से 40 मिनट पूर्व चेतावनी प्राप्त की जा रही है। उक्त चेतावनी को सायरन तथा मोबाइल मैसेज के माध्यम से जन–मानस तक भी पहुंचाया जाता है।
- ❖ वज्रपात से बचाव सम्बंधी जानकारी प्रदेश के सभी प्रमुख रेडियो चैनलों एवं प्रमुख अखबारों के माध्यम से आम जनमानस के लिए मानसून माह में प्रसारित किया जाता है।

वज्रपात के कारण माह अप्रैल, 2023 से माह मार्च, 2024 (टेबल–1) के दौरान हुई जनहानि के आंकड़ो के आधार पर जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, प्रयागराज, बांदा, फतेहपुर तथा ललितपुर अधिक संवेदनशील है, जहां वज्रपात की घटना सर्वाधिक हुई है। माह सितम्बर, 2024 (टेबल–2) के आंकड़ों के अनुसार जनपद मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, सुल्तानपुर, फतेपुर, चित्रकूट, बांदा तथा ललितपुर अधिक संवेदनशील है, जहां वज्रपात की घटना सर्वाधिक हुई है।

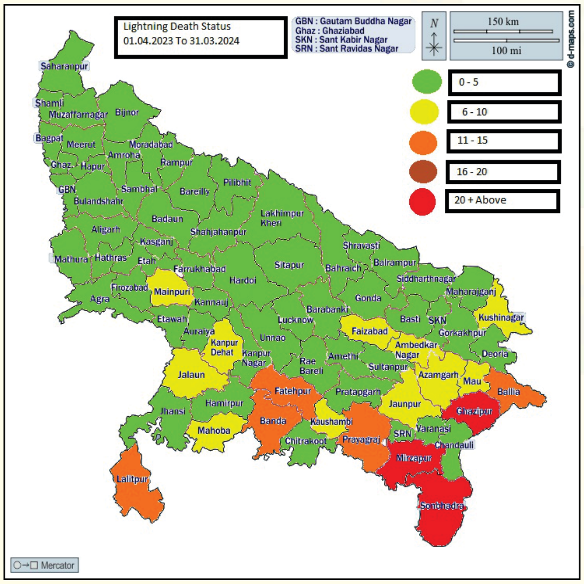

टेबल–1

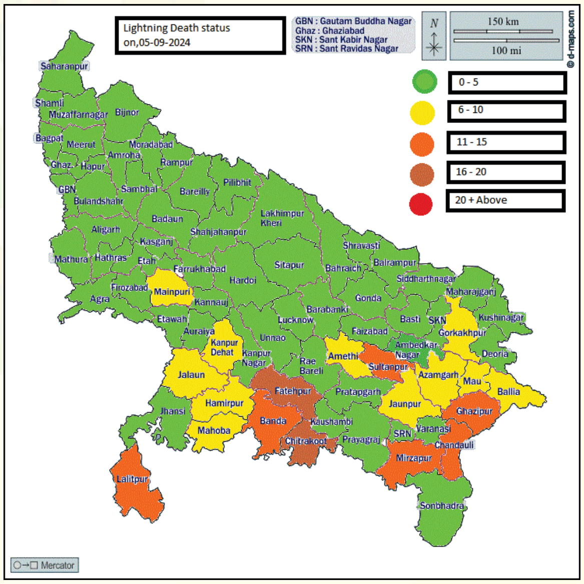

टेबल–2

उपरोक्त आकड़ों के आधार पर यह देखा गया है कि वज्रपात की घटनाओं में क्षेत्रिय परिवर्तन हो रहा है तथा जिन जनपदों में वज्रपात सुरक्षा के संबंध में जन–जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया गया है वहाँ जनहानि में कमी देखी गई है।

उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जनपदों के लिए जनपदवार ताप सीमा (Heat Threshold) का निर्धारण

हीट थ्रेसहोल्ड – हीट थ्रेसहोल्ड वह तापमान सीमा है जिससे अधिक तापमान होने पर हीट वेव घोषित किया जाता है और चेतावनी जारी की जाती है। आमतौर पर हीट वेव को तीन स्तरों में विभाजित किया गया है, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट।

राज्य के प्रत्येक जनपद के लिये वर्ष 1982 से 2023 तक के दैनिक तापमान डाटा का उपयोग कर UP SDMA द्वारा सभी जनपदों के लिये जनपद स्तरीय हीटवेव थ्रेसहोल्ड का अनुमान लगाने के लिये अध्ययन किया गया है। IMD, WMO और WHO की मिश्रित पद्धतियों का उपयोग करके शोध अध्ययन से उ0प्र0 के सभी जनपदो के लिये त्रिस्तरीय चेतावनी प्रणाली येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट का निर्धारण किया गया है।

अपने सभी 75 जनपदों के लिये विशिष्ट हीटवेव थ्रेसहोल्ड स्थापित करके उ0प्र0 भारत का पहला राज्य बनकर एक अग्रणीं कदम उठाया है। राज्य के विभिन्न जनपदों में क्षेत्रफल की विषमतायें होने के कारण जनपदों में तापमान विभिन्नतायें मौजूद हैं। हीट थ्रेसहोल्ड निर्धारण करने से जनपद इसके आधार पर जनपद का हीट एक्शन प्लॉन तैयार कर लागू कर सकते हैं।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य बढ़ते तापमान के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कृषि कार्यों में अनुकूलन प्रदान करना, श्रम रोजगार का मार्ग–दर्शन करना और शहरी नियोजन में सुधार करना है।

हीट थ्रेसहोल्ड के परिणाम–

- स्थानीय स्तर पर हीट थ्रेसहोल्ड तापमान के आधार पर जनपद स्तर पर हीटवेव की घोषणा करने में सहायक सिद्ध होगा।
- जनपद स्तर पर हीट एक्शन प्लॉन (HAP) तैयार करने और हीटवेव के लिये स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को सक्रिय किया जा सकेगा।
- जनपद स्तरीय हीटवेव प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में सहयोगी।
- हीट थ्रेसहोल्ड एक बेन्च मार्क के रूप में कार्य करेगा जिससे भविष्य में हीटवेव से संबंधित उपायों का उचित मूल्यांकन किया जा सकता है।

सभी जनपद वर्तमान में वर्ष 2022 के हीट एक्शन प्लॉन (HAP) के अनुसार वर्ष 2024 की हीट एक्शन रिपोर्ट तैयार कर रहें हैं जो उन्हे वर्ष 2025 की हीट एक्शन प्लॉन (HAP) की समीक्षा करने के लिये प्रेरित करेगी।

टेबल टॉप अभ्यास ''सामंजस्य'' – मई 2024

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), भारत सरकार द्वारा दिनांक 16 मई 2024 को भारतीय सेना के मध्य कमान मुख्यालय, लखनऊ में आपदा प्रबंधन पर एक व्यापक टेबल टॉप अभ्यास सामंजस्य का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समस्त हितधारकों को एक साथ लाना था, जिनमें मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, प्रारंभिक चेतावनी एजेंसियाँ और चार आपदा प्रभावित राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस अभ्यास में वर्ष 2023 में आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों से सीखे गए पाठ, आपदा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, भारत में प्राकृतिक आपदाओं की आर्थिक लागत, चार राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की संवेदनशीलता और इन्सिडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम पर भी चर्चा की गई।

राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज– जुलाई 2024

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय से प्रदेश में बाढ़ आपदा के प्रति 44 अतिसंवेदनशील एवं संवेदनशील जनपदों में बाढ़ आपदा पर राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज दिनांक 25, जुलाई, 2024 को आयोजित की गई। इस वर्ष की मॉक एक्सरसाइज में प्रथम बार आपदा के दौरान सभी संचार व्यवस्था ठप होने के कारण हैम रेडियो के माध्यम से संवाद किया गया और जनपदों से जुड़े हैम रेडियो ऑपरेटर ने आपस में हैम रेडियो से संवाद कर सूचना/जानकारी को राज्य/जनपद ई0ओ0सी0 को अवगत कराया।

DDMA LAKHIMPUR KHIRI

श्री महेंद्र बहादुर सिंह (आई0ए0एस0) जिलाधिकारी
श्री संजय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
श्री राजीव कुमार, अधिशाषी अभियंता, बाढ़ खण्ड
श्री दीपक मिश्र, आपदा विशेषज्ञ

बायो इंजीनियरिंग/वेटिवर ग्रास का प्रयोग कर नदी के किनारे कटान नियंत्रण का कार्य

जनपद लखीमपुर–खीरी में घाघरा, शारदा एवं मोहाना नदी के किनारे लगभग 300 कि0मी0 लम्बाई में लगभग 200 गांव एवं हजारों एवं लाखों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि अवस्थित है। नदी के किनारे अवस्थित ग्राम समूह को नदी कटान से बचाने के लिए अनेक कटावरोधी परियोजनायें निर्मित की गयीं हैं, जिससे कई दर्जन ग्रामों को नदी कटान से सुरक्षित किया गया है। उपरोक्त कार्यों की लागत अत्यधिक होने के कारण इनको नदी की बहुत अधिक लम्बाई में निर्मित नहीं किया जा सकता, जिसके कारण नदी के किनारे अवस्थित हजारों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि एवं आबादी को नदी कटान से सुरक्षित किया जाना अभी भी अवशेष है। नदी के किनारे पर कटान को नियंत्रित किये जाने हेतु वेटिवर ग्रास (खस–खस) एक विकल्प हो सकता है। इसका प्रयोग असम में नदी की कटान को नियंत्रित करने हेतु कई स्थानों पर किया गया है। इसी प्रकार जनपद लखीमपुर–खीरी में शारदा एवं मोहाना नदियों पर नदी कटान को नियंत्रित किये जाने हेतु वेटिवर ग्रास का प्रयोग प्रथम बार पायलट प्रोजेक्ट पर किया जा रहा है।

वेटिवर भारतीय मूल की घास है सामान्यतः इसको खस कहते हैं, जो कि उत्तर एवं पश्चिम भारत में बहुतायत में पायी जाती है। वेटिवर ग्रास अन्य घासों की अपेक्षा क्षैतिज फैलने के बाजाय इसकी जड़े ऊर्ध्वाधर गहराई में 1 मी0 से 4 मी0 तक चली जाती है। यह जमीन में फैलकर मिट्टी को जकड़ लेती है जिससे यह नदी कटान को रोकने में अत्यन्त लाभकारी हैं। इसकी जड़े एक से डेढ़ वर्ष में लगभग 2 मीटर से अधिक हो जाती हैं। नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण वेटिवर ग्रास लगाये जाने का लक्ष्य मानसून के पश्चात पूरा किया जाना प्रस्तावित है। वेटिवर ग्रास की कटावरोधी क्षमता के साथ–साथ इसकी अत्यधिक मेडिसनल वैल्यू है, जिसके कारण यह बायो इंजीनियरिंग पद्धति अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हो सकती है। यह न केवल अत्यन्त सस्ती कटावरोधी पद्धति होगी अपितु स्थानीय लोगों के लिए रोजगारपरक साबित होगी।

DDMA MAHARAJGANJ

बाढ़ आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जनपद महराजगंज में सिंचाई खण्ड द्वितीय एवं वन विभाग के समन्वय से महाव नाले के दृष्टिगत किये गए नवाचार

श्री अनुनय झा (आई0ए0एस0) जिलाधिकारी
डॉ पंकज कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)
श्री चंदन द्विवेदी, आपदा विशेषज्ञ

जनपद में महाव नाला एक बड़ी समस्या है नेपाल राष्ट्र से निकलने वाली कजरारी नदी, तुरीया नदी का पानी महाव नाले में आता है, जिसके कारण पानी के उत्प्लावन होने से समस्या उत्पन्न होती है। जनपद में KM 0.0 से KM 08 तक का हिस्सा सोह्गिवरवा वन्य जीव प्रभाग में पड़ता है तथा KM 08 से KM 23 तक का हिस्सा सिंचाई खण्ड –2 महराजगंज के हिस्से में पड़ता है जिसमे 65 अदद तीव्र मोड़ हैं। जनपद महराजगंज में ग्राम झिन्गुटी से महाव नाले का प्रारंभ होता है। जिससे 16 ग्रामों की 25000 आबादी क्षेत्रफल 780 हेक्टेयर प्रभावित होते हैं महाव नाले में जल के कारण खैरहवा दुबे तथा छितवनिया टोला आंशिक रूप से मैरूंड हो जाते हैं। राजस्व अभिलेख में महाव नाला नदी के रूप में दर्ज है।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष, जिलाधिकारी महराजगंज, महोदय द्वारा महाव नाले की समस्या को देखते हुए अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड –2 को निर्देशित किया गया जिनके द्वारा महाव नाले पर National Institute of Hydrology पटना से अध्ययन कराया गया है। अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार महाव नाले से बिना ओवरफ्लो के जल प्रवाह सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्पूर्ण लम्बाई में महाव नाले की गहराई 4m तली कि चौड़ाई 22m तथा साइड स्लोप 1:1 में रखे जाने की संस्तुती की गयी।

इस सम्बन्ध में वन विभाग एवं सिंचाई विभाग द्वारा समन्वय कर महाव नाले का परिवर्तन NIH के अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार सिंचाई खण्ड –2 द्वारा बंधे के मरम्मतीकरण का कार्य सम्पूर्ण कर लिया गया तथा वन प्रभाग द्वारा जंगल क्षेत्र में आने वाले महाव नाले के बहाव हेतु सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया। जिससे संभावित आगामी बाढ़ में महाव नाले से निरंतर प्रभावित होने वाले 16 ग्रामों में लगभग 23000 आबादी एवं 780 हेक्टेयर क्षेत्रफल को सुरक्षित कर पाने में जिला प्रशासन सक्षम हो गया तथा जिसके कारण 16 ग्रामों के कृषको की फसलें एवं जन एवं पशु हानि की सम्भावना का जोखिम कम करने में सफलता प्राप्त हुई।

DDMA PRATAPGARH

वज्रपात जागरूकता

श्री संजीव रंजन (आई0ए0एस0) जिलाधिकारी,
श्री त्रिभुवन विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
श्री अनुपम शेखर तिवारी, आपदा विशेषज्ञ

जनपद प्रतापगढ़ की समस्त तहसीलों (लालगंज को छोड़कर) में दिनांक 10 जुलाई, 2024 को आकाशीय विद्युत घटना के कारण 12 जनहानियाँ हो गयी। जनपद के जिलाधिकारी महोदय एवं उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार ने सभी मृतकों के परिजनों से मुलाकात किया तथा अहैतुक सहायता का वितरण कराया। घटना की जांच में देखा गया कि वज्रपात के दौरान 07 लोग खेतों में काम कर रहे थे, 04 लोग घर से बाहर खुले आसमान में थे एवं 01 व्यक्ति की मृत्यु पेड़ के नीचे खड़े रहने के कारण हुई।

जनपद में आकाशीय विद्युत/वज्रपात से बचाव हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में जन–जागरूकता हेतु एडवाइजरी जारी भी की गई थी और जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, प्रतापगढ़ द्वारा आकाशीय विद्युत/वज्रपात से राहत एवं बचाव तथा जनजागरूकता हेतु क्यू.आर. कोड भी जारी किया गया तथा समय पर प्रचार प्रसार भी कराये गए थे।

सीखः आकाशीय बिजली/वज्रपात के दौरान खुलें में काम कर रहे लोग अधिक संवेदनशील होते है, इसलिए वज्रपात की घटना की संभावना होने पर नदी, तालाब, घाटों, बिजली के पोल, ऊंचे पेड़ों से दूर रहें। यदि खेत अथवा खुले स्थान पर है तो तुरन्त पक्के मकान की शरण लें।

वज्रपातः–सावधानी से ही बनेगी बात।

सचेत, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया एक आपदा पूर्व चेतावनी प्लेटफार्म है, जो नागरिकों को वास्तविक समय में भू–लक्षित अलर्ट प्रदान करता है। उपयोगकर्ता अपने वर्तमान स्थान के लिए अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं या भारत के किसी भी राज्य/जिले का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ताकि उन्हें चेतावनी सूचनाएँ मिल सकें।

सचेत मोबाइल ऐप सरकार के अधिकृत स्रोतों और अधिकारियों से संभावित आपदा स्थितियों के बारे में जनता को चेतावनी प्रदान करता है। इसके अलावा, ऐप भारतीय मौसम विभाग से दिन–प्रतिदिन के मौसम अपडेट के लिए मौसम रिपोर्ट और पूर्वानुमान प्रदान करता है। यह ऐप 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें अनुवाद और पढ़ने की सुविधा भी है।

DDMA GHAZIPUR

श्रीमती आर्यका अखोरी (आई0ए0एस0) जिलाधिकारी
श्री दिनेश कुमार, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
श्री राजेन्द्र प्रसाद, अधिशाषी अभियन्ता
श्री अशोक राय, जिला आपदा विशेषज्ञ

जनपद गाजीपुर में गंगा नदी में जल स्तर बढ़ने एवं तेज बहाव के कारण कटान की समस्या को न्यून करने एवं कृषि योग्य भूमि को सुरक्षित रखने हेतु Porcupine Systems का उपयोग

Porcupine systems, या **Porcupine wire systems,** एक प्रकार की नदी तट सुरक्षा विधि है जिसका उपयोग कटाव से निपटने के लिए किया जाता है। इनमें ऐसी संरचनाएं होती हैं जो साही के पंखों से मिलती जुलती होती हैं, जिन्हें पानी के प्रवाह को बाधित करने और तलछट को फंसाने, नदी के किनारों को स्थिर करने और कटाव को कम करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है।

इस प्रणाली को आम तौर पर स्टील की छड़ों या अन्य टिकाऊ सामग्रियों की सहायता से. त्रीभुत के आकार के एक ढ़ाचे के रूप में बनाया जाता हैं। जिन्हें इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि त्रिभुज के आकार में एक ढाँचा बनता है। इन छड़ों को नदी के किनारे या नदी के तल में पानी में फैलाकर रखा जाता है। उभरी हुई छड़ें पानी के प्रवाह को बाधित करती हैं, जिससे नदी के किनारे के पास प्रवाह की गति धीमी हो जाती है। पानी का यह वेग कम होने से नदी की कटाव शक्ति कम हो जाती है, जिससे तट को आगे के कटाव से बचाने में मदद मिलती है।

इस प्रणाली की संरचना के कारण उसके तलहटी में नदी के बहाव में आने वाली घास–फूँस, मिट्टी एकत्रित होने लगती है जिस कारण समय के साथ वनस्पति को जड़ जमाने के लिए एक स्थान मिल जाता है तथा पौधों की वृद्धि नदी के किनारों को और अधिक स्थिर कर देती है क्योंकि उनकी जड़ें मिट्टी को एक साथ बांधती हैं, जिससे कटाव के खिलाफ प्राकृतिक बाधा उत्पन्न होती है।

Porcupine system पर्यावरण के अनुरूप अन्य कटाव नियंत्रण विधियों की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ता होता है।

DDMA BAHRAICH

कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन बहराइच

श्रीमती मोनिका रानी (आई0ए0एस0) जिलाधिकारी
श्री गौरव रंजन श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
श्री सुनील कनौजिया, जिला आपदा विशेषज्ञ

जनपद बहराइच में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनपद में संचालित कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन के माध्यम से जनपद में होने वाली विभिन्न घटनाओं जैसे– आकाशीय विद्युत, बाढ़, लू, सर्पदंश इत्यादि के बारे में आम जनमानस को जागरूक कराने की नयी पहल की शुरुआत की गयी है।

कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन

कम्यूनिटी रेडियो सेवा का एक प्रकार है, जो वाणिज्यिक और सार्वजनिक सेवा से अलग रेडियो प्रसारण का एक तीसरा मॉडल है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) कम शक्ति वाले रेडियो स्टेशन हैं, जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है। दिसंबर 2002 में, भारत सरकार ने अच्छी तरह से स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने की नीति को मंजूरी दी। 2006 में नीति दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया, जिसमें आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, पंजीकृत सोसायटी जैसे समुदाय–आधारित संगठनों को अनुमति दी गई। सामुदायिक रेडियो स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि आदि से संबंधित मुद्दों पर स्थानीय भाषाओं में प्रसारित करते है। सामुदायिक रेडियो का प्रसारण स्थानीय भाषाओं और बोलियों में होता है, इसलिए लोग इससे तुरंत जुड़ पाते हैं।

कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन का आपदा प्रबंधन में उपयोग–जनपद बहराइच में जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के द्वारा आपदाओं से बचाव हेतु ''क्या करें, क्या न करें'' की जानकारी के सम्बन्ध में रेडियो सरजू 89.6 FM बहराइच के माध्यम से आम जनमानस को जागरूक कराने की नयी पहल की गयी है।

जनपद में होने वाली घटनायें जैसे आकाशीय विद्युत, बाढ़, लू प्रकोप, आंधी तूफान, सर्पदंश आदि आपदाओं से बचाव हेतु ''क्या करें, क्या न करें'' के सम्बन्ध में रेडियो सरजू 89.6 FM बहराइच के माध्यम से प्रतिदिन प्रसारण करवाया जा रहा है। प्रतिदिन के प्रसारण के कारण विभिन्न आपदाओं से बचाव तथा दामिनी व सचेत एप्प के प्रयोग सम्बन्धी जानकारी को जनपद के औसतन लगभग 40 से 50 हजार लोग सुनकर जागरूक एवं लाभान्वित हो रहें हैं।

प्रदेश में कुल 59 कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन हैं, जिनसे समन्वय कर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आपदा संबंधी जन–जागरूकता कार्यों को ग्रामीण जनमानस तक पहुँचा सकते हैं।

DDMA AYODHYA

Drowning Risk Reduction Plan, River Saryu, Ayodhya

श्री चंद्र विजय सिंह (आई0ए0एस0) जिलाधिकारी
श्री महेंद्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
श्री यथार्थ तिवारी, जिला आपदा विशेषज्ञ

धार्मिक नगरी होने के कारण जनपद अयोध्या में विभिन्न पर्वों पर पर्यटकों का आवागमन अधिक रहता है। श्री राम मन्दिर निर्माण के पश्चात पर्यटको व तीर्थयात्रियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि भी हुई है, जिससे जनपद के सभी घाटो पर सुरक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जनपद अयोध्या में सरयू नदी के दाहिने तट पर सिचाई विभाग द्वारा लगभग 5440 किमी० लम्बाई में घाट निर्मित कराया गया है, जिसमें मुख्यत गोला घाट, लक्ष्मण किला घाट, नया घाट एवं संत तुलसी दास घाट पर लगभग 1700 मीटर लम्बाई में श्रद्धालुओं द्वारा प्रायः स्नान किया जाता है। इन घाटों पर तीर्थयात्रियों/पर्यटकों के डूबने की घटनाएं बेहद गम्भीर समस्या है।

उक्त घटनाओं के न्यूनीकरण हेतु उ०प्र० सरकार एवं जिला प्रशासन ने **"Drowning Risk Reduction Plan River Saryu, Ayodhya"** के नाम से परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना के अंतर्गत घाटों पर डूबने की घटनाओं को न्यून करने हेतु फ्लोटिंग बैरियर, फ्लोटिंग जेटी(घाट) सैफ्टी नेट, पब्लिक अवेर्नेस सिस्टम लगाए गए है तथा होर्डिंग, बैनर, रेडियो जिंगल, सोशल मीडिया एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से आम–जनमानस में जागरूकता फैलाने का कार्य भी किया जा रहा है।

प्रदेश के सभी जनपदों में विश्व ड्राउनिंग प्रिवेन्शन दिवस का आयोजन

दिनांक 25 जुलाई 2024 को विश्व ड्राउनिंग प्रिवेन्शन दिवस के उपलक्ष्य में सभी जनपदों ने डूबने के कारण से होने वाली दुर्घटनाओं के न्यून करने के लिए आम जन मानस को मॉक अभ्यास, आपदा मित्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया।

DDMA BALLIA

श्री रवीन्द्र कुमार (आई0ए0एस0) जिलाधिकारी
श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
श्री पीयूष कुमार सिंह, आपदा विशेषज्ञ

नदी/घाटों पर आपदा मित्रों की तैनाती

जनपद बलिया में गंगा नदी एवं अन्य घाटों पर डूबने के कारण होने वाली घटनाओं को न्यून करने के उद्देश्य से जनपद में जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न पर्वों एवं उत्सवों के दौरान गंगा नदी/घाटों पर आपदा मित्रों की तैनाती स्थानीय लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से की जाती है।

टिप्पणी आपदा मित्र एस0डी0आर0एफ0 द्वारा प्रशिक्षित युवा है, जिनको आपदा में राहत/बचाव हेतु प्रशिक्षित किया गया है। आपदा मित्रों को प्रशिक्षण के दौरान आपातकालीन किट दिए गए तथा सभी आपदा मित्र प्राथमिक उपचार, सी0पी0आर0 देने में भी निपुड़ है।

DDMA BANDA

श्री नगेन्द्र प्रताप (आई0ए0एस0) जिलाधिकारी
श्री राजेश कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
श्री प्रभाकर सिंह, जिला आपदा विशेषज्ञ

जनपद बांदा में दिनांक 01 जून 2024 को तापमान 47.5^{0}C के दौरान राजकीय इंटर कालेज के मुख्य गेट पर एक आदमी मुर्क्षित पड़ा था। हीट वेव की संभावना के दृष्टिगत आपदा विशेषज्ञ द्वारा तत्काल व्यक्ति को पानी पिलाया गया तथा टोल फ्री नम्बर पर फोन कर एम्बुलेस को बुला कर व्यक्ति को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान पता चला कि पीड़ित किसी काम से शहर आया हुआ था, लू लगने के कारण व्यक्ति बेहोश हो गया था।

बचाव हेतु सुक्षाव : हीट वेव (लू) से बचाव हेतू सफर में अपने साथ पानी हमेशा रखें। प्यास की इच्छा न होने पर भी पानी पीते रहें। अधिक धूप में बाहर जाने पर सर को ढ़क कर ही निकलें।

DDMA SHRAVASTI

रेडक्रॉस श्रावस्ती द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यों में समन्वय

श्री अजय कुमार द्विवेदी (आई0ए0एस0), जिलाधिकारी
श्री अमरेन्द्र कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
श्री अरुण कुमार मिश्रा, आपदा विशेषज्ञ

रेडक्रॉस सोसायटी स्वास्थ्य और आपदा के क्षेत्र में कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो जनपद श्रावस्ती में काफी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रही है। रेडक्रॉस सोसायटी, श्रावस्ती न केवल आपदा के समय बल्कि आपदा से पूर्व व बाद में भी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के कार्यों में जनपद में निम्नलिखित कार्यों में सक्रीय भूमिका का निर्वहन कर रही हैः–

- रेडक्रॉस श्रावस्ती ने 2247 दिव्यांगजन व 5237 वृद्धजनों के लिए कृत्रिम उपकरण यथा मोटराइज्ड ट्राई सायकिल, व्हील चेयर इत्यादि का निःशुल्क वितरण का कार्य।
- सभी बाढ़ चौकियों को निःशुल्क सोलर लैंप के वितरण का कार्य।
- महिलाओं को डिग्निटी किट वितरण का कार्य।
- बाढ़ के उपरान्त बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, उनसे बचाव के लिए रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता है।
- रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ आपदा मॉकड्रिल में प्रतिभाग किया जाता है।

रेड क्रॉस सोसाइटी आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेड क्रॉस सोसाइटी आपदा प्रबंधन का अभिन्न अंग है, जो आपात स्थिति के दौरान सामुदायिक सहभागिता, आपातकालीन राहत वितरण, आपदा प्रभावितों को मनोचिकित्सीय सहायता प्रदान करने में मुख्य रूप से सहयोगी है।

DDMA ETAWAH

Heat Wave Action Plan Implementation-2024 (March- June'24)

श्री अवनीश राय (आई0ए0एस0), जिलाधिकारी
श्री अभिनव रंजन श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
श्री अवनीश दुबे, आपदा विशेषज्ञ

- हीट वेव के दौरान अग्निकांड की दुर्घटना के दृष्टि से अग्निशमन विभाग द्वारा एनसीसी के कैडेटों के साथ जनपद स्तर पर अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- ग्रामीणों को गर्मी से बचाव के लिए एक गमछा, टोपी,स्वास्थ्य विभाग की ओर से ओ०आर०एस० पैकेट वितरित कराये गये।
- इटावा रेलवे जंक्शन एवं रोडवेज बस स्टेशन पर प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गए रेडियो जिंगल्स का प्रचार–प्रसार नियमित रूप से कराया गया।

DDMA AGRA

श्री भानु चन्द्र गोस्वामी (आई0ए0एस0), जिलाधिकारी
श्रीमती शुभांगी शुक्ला, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
श्री शिवम कुमार, आपदा विशेषज्ञ

- जनपद आगरा में ताजमहल के पास विदेशी पर्यटकों को हीट वेव से बचाव हेतु सुरक्षा की दृष्टि से एम्बुलेंस वाहन की पूर्व से उपलब्धता की गयी।
- विदेशी पर्यटकों को हीट वेव की दृष्टी से जागरूक करने हेतु क्या करें और क्या न करें आई0ई0सी0 मटेरियल, अंग्रेजी पोस्टर ताजमहल, रेड फोर्ट और फतेहपुर सीकरी में लगाए गए।
- आगरा नगर निगम द्वारा व्यस्त चौराहो पर दो पहिया वाहन चालकों के लिए ग्रीन नेट लगाया तथा स्प्रिंकलर मशीन के माध्यम से जल छिड़काव भी किया गया।

जनपद स्तर पर सभी विभागों ने हीट वेव(लू) के न्यूनीकरण एवं जन–जागरूकता को आम–जन मानस तक पहुंचाने में अपना विशेष योगदान दिया है, परन्तु जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हीट वेव की समस्या को सभी विभागों को समझना होगा, क्योकि इसका सीधा असर संवेदनशील समुदाय के कार्यों एवं स्वास्थ्य पर पड़ता है।

शीतलहर (कोल्ड वेव)

**श्री चंद्रकांत, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट
(फ्लड कन्ट्रोल)**

भारतीय मौसम विज्ञान के पूर्वानुमान के अनुसार माह सितम्बर, 2024 में ला नीना के प्रभाव के कारण पूरे देश में तापमान में गिरावट तथा वर्षा में वृद्धि की संभावना है। ला नीना प्रभाव के कारण अधिक ठंड पड़ने की भी संभावना है। ला नीना का तात्पर्य मध्य और पूर्व–मध्य भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में महासागर की सतह के तापमान के आवधिक शीतलन से है। ला नीना के प्रभाव के कारण पश्चिमी प्रशान्त महासागर के ऊष्ण कटिबंधीय भाग में तापमान में वृद्धि होने से वाष्पीकरण अधिक होता है तथा अत्यधिक वर्षा होती है। आमतौर पर यह माह अप्रैल तथा जून के बीच में शुरू होता है तथा अक्टूबर और फरवरी के बीच अधिक सक्रिय होता है। परन्तु इस वर्ष माह सितम्बर, 2024 में शुरू होने के कारण पूरे देश के तापमान में बदलाव देखा गया है तथा वर्षा में वृद्धि भी हुई है। ला नीना प्रभाव के कारण इस वर्ष भारत के उत्तरी राज्य मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर में अत्यधिक ठंड पड़ने की संभावना है। प्रदेश में शीत लहर एक मौसमी घटना है, जो प्रतिवर्ष सर्दियों (नवंबर से फरवरी महीनों) के दौरान अनुभव की जाती है। 24 घण्टे में तापमान में अचानक गिरावट (4 से 5 डिग्री तक), ओस और घना कोहरे इत्यादि इसकी पहचान है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो, पूरा उत्तर प्रदेश शीत लहर के दृष्टि से संवेदनशील है। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलायें, बेघर, खुले मैदानों में काम करने वाले लोग जैसे किसान, दिहाड़ी मजदूर आदि की शीत लहर के चपेट में आने की संभावना अधिक होती हैं। शीतलहर से मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

शीतलहरी से बचाव हेतु ध्यान देने वाली बातें

शीतलहर से पहले

- यथा संभव गर्म/मोटे कपड़े और कंबल की व्यवस्था करें।
- क्षतिग्रस्त घरों, खिड़कियों व दरवाजों की मरम्मत करवा लें।
- पशुओं के रहने के स्थान की मरम्मत करवा लें, उनके रहने के स्थान को चारो तरफ से ढककर रखें।

शीतलहर के दौरान

- शीत लहर सम्बंधित जानकारी/अलर्ट हेतु रेडियो/टेलीविजन सुनें तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन करें।
- यदि घर से बाहर जाना आवश्यक हो तो पर्याप्त ऊनी एवं गर्म कपड़े पहन कर ही निकलें।
- शरीर में ऊष्मा/गर्मी के प्रवाह को बनाये रखने के लिए यथा उपलब्ध पौष्टिक आहार एवं गरम पेय पदार्थों का सेवन करें।
- बंद कमरे में जलती हुयी लालटेन, दीया, कोयले की अंगीठी, उपलो का प्रयोग करते समय धूएँ के निकास का उचित प्रबंध करें। प्रयोग के बाद इन्हे अच्छी तरह बुझा दें।
- हीटर, ब्लोअर आदि का प्रयोग करने के बाद स्विच बंद करना न भूलें।
- पशुओं के बांधने के स्थान (पशुशाला/गौशाला) को गरम रखने की समुचित व्यवस्था करें । पशुओं को ठंड लगने पर पशु चिकित्सक की सलाह लें ।

शरीर में ऊष्मा/गर्मी के प्रवाह को बनाये रखें।

शीत लहर की स्थिती (तापमान सामान्य से 7 डिग्री से 0 कम हो जाना)

घर में हीटर, ब्लोअर आदि का प्रयोग करें।

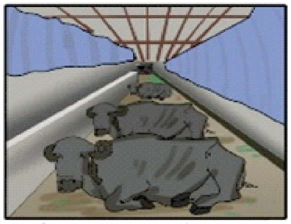
पशुशाला को गरम रखने के लिए व्यवस्था करें।

सिटी हीट एक्शन प्लान

श्रीमती प्रियंका द्विवेदी
प्रोजेक्ट एक्सपर्ट (एग्रीकल्चर)

जलवायु परिवर्तन के कारण हीटवेव की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे अधिकतर शहरी क्षेत्रों में जनसामान्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हीटवेव से विशेष रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्ति रोगी, वृद्ध, बच्चे, श्रमिक एवं गर्भवती महिलायों आदि को स्वास्थ्य सम्बंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्तमान वर्ष 2024 में जनपद **लखनऊ में 46.0** डिग्री सेल्सियस दिनांक **17 जून**, **झाँसी में 49.0** डिग्री सेल्सियस दिनांक **28 मई 2024**, जनपद **आगरा में 48.6** डिग्री सेल्सियस दिनांक **28 मई 2024** एवं **प्रयागराज में 49.8** डिग्री सेल्सियस दिनांक **29 मई 2024** को अधिकतम तापमान रिकार्ड किया गया है। हीटवेव से बचाव एवं इसके दुष्प्रभावों को न्यूनतम करने हेतु प्रदेश में शहरों के लिए सिटी हीट एक्श्न प्लान तैयार किया जाना अति आवश्यक है।

उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वाराहीटवेव से बचाव एवं इसके दुष्प्रभावों को न्यूनतम करने हेतु जनपद–लखनऊ, झाँसी, आगरा एवं प्रयागराज के लिए सिटी हीट एक्शन प्लान, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यूनीसेफ उ0प्र0 तथा इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, गांधीनगर, गुजरात के तकनीकी सहयोग से तैयार किया जा रहा है।

उद्देश्य

सिटी हीट एक्शन प्लान (City Heat Action Plan) बनाने का उद्देश्य शहरों में बढ़ते तापमान के प्रभावों को कम करना और गर्मी की लहरों के प्रति संवेदनशील समुदायों की सुरक्षा करना है।

- **स्वास्थ्य सुरक्षा** – गर्मी की लहरों से होने वाली बीमारियों और मृत्यु दर को कम करना।
- **सामाजिक जागरूकता** – लोगों को गर्मी के खतरों और बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करना।
- **नियोजन और तैयारी** – शहरों में गर्मी की लहरों के दौरान आवश्यक सेवाओं और अवसंरचना को मजबूत करना।
- **पर्यावरण संरक्षण** – शहरी क्षेत्रों में गर्मी के प्रभावों को कम करना और हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देना।
- **क्षमता निर्माण** – विभागों एवं एन0जी0ओ0/सी0एस0ओ0 के लिए क्षमता निर्माण हेतु कार्यशाला कराना।
- **डाटा विश्लेषण** – प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को विकास करने हेतु सिटी स्पिसिफिक हीट हेल्थ थ्रेसहोल्ड डाटा का विश्लेषण करना।

अपेक्षित परिणाम

- **स्वास्थ्य में सुधार** – गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं में कमी।
- **सामुदायिक सहयोग** – स्थानीय समुदायों में एकजुटता और सहयोग को बढ़ावा देना।
- **स्थायी शहरी विकास** – जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता को बढ़ावा देना और शहरी क्षेत्रों के विकास में पर्यावरणीय कारकों को शामिल करना।
- **आर्थिक लाभ** – स्वास्थ्य सम्बंधित देखभाल खर्चों में कमी और श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि।

इस प्रकार, हीट एक्शन प्लान न केवल शहरी जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दीर्घकालीन स्थिरता और विकास के लिए भी आवश्यक है।

झांसी सिटी हीट एक्शन प्लान बनाने के लिए महापौर श्री बिहारी लाल आर्य की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का शुभारंभ श्री सत्य प्रकाश(आई0ए0एस0) नगर आयुक्त महोदय ने किया, जिसमे UP SDMA से डॉ कनीज फातिमा, डॉ महावीर गुलेच्छा, IIPH Ghandhinagar, श्रीमती प्रियंका द्विवेदी एवं श्री प्रशान्त शाही तथा नगर निगम झांसी के अपर नगर आयुक्त, मो0 कमर उपस्थित रहें।

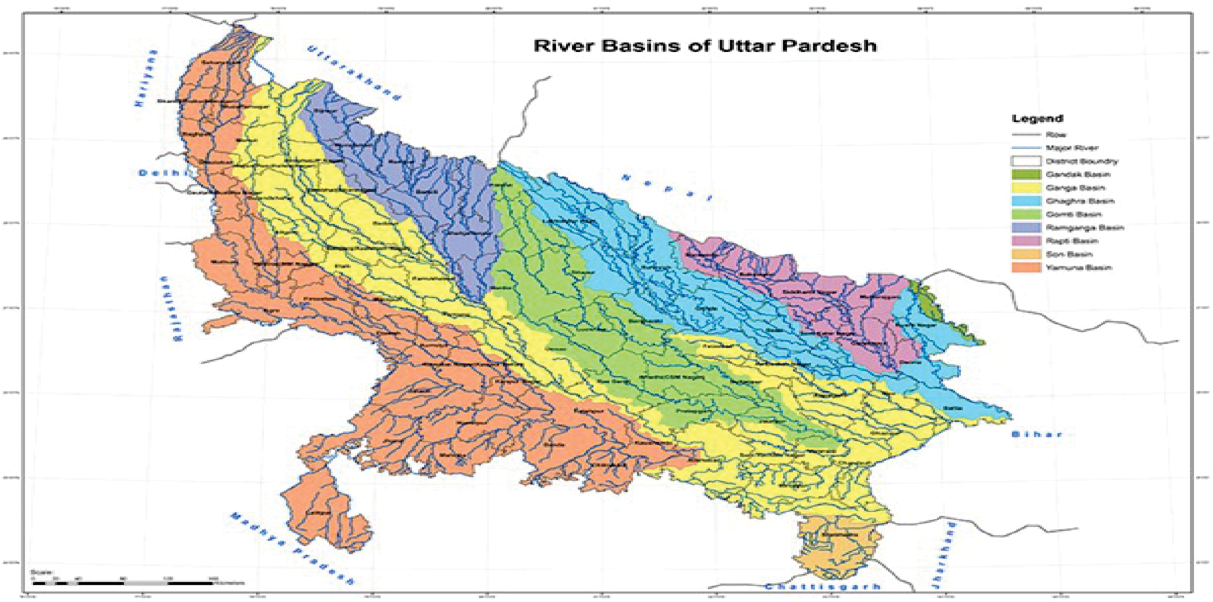

Theme of Next Edition of Aapda Samachar - 'Learning from Past Disasters'

Readers are requested to send good quality, 2-3 high-resolution photographs along with writeup not exceeding 400 words by 31 October 2024.

उत्तर प्रदेश

Uttar Pradesh
State Disaster Management Authority
(UP SDMA)

Address : B-1 Block, PICUP Bhawan, PICUP Building Road, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh, 226010

Website : https://upsdma.up.nic.in Email : upsdma@gmail.com Phone : 0522-2306882

For more information, visit our web at www.upsdma.up.nic.in